सोयी हुई जनजातीयाँ जाग उठेगी तो सरकार की नींद उड जाएगी

और अति पिछड़े .... **विधायक हरीभाऊ राठोड**

देशमें बंजारा विमुक्त-घुमंतू और अति पिछड़े समाजके आरक्षण की समस्या तीव्र और पेचिदा हो गयी है। खासकर बंजारा और धनगर समाजको कुछ राज्योंने अनुसूचित जातीका और कुछ राज्योंमें अनुसूचित जनजातीयों का आरक्षण देने की माँग की गयी है। भूतकाल में बंजारा समाज के अनेक नेताओं ने अथक प्रयत्न किए है, उसकी वजहसे श्रीमती इंदिरा गांधीजीने १९६७ में और १९७२ में संसद में विधेयक प्रस्तुत किया था। कुछ मूल रुपसे आदिवासी सांसदोने उसे विरोध किया। बंजारों को आदिवासी समाज का दर्जा देने का विधेयक संयुक्त सांसदीय समिती को भेज दिया गया। संयुक्त समितीने पूरे देशमें घूमके एक सर्वेक्षण किया और अपना परिवेदन सरकार को सादर किया। धनगर और बंजारा ये समाज अनुसूचित जनजातीयों के निकषों की पूर्ती करते है इसलिए उन्हें अनुसूचित जनजातीयोंकी सहुलियत देने में कोई आक्षेप नहीं है। यह विधेयक फिरसे संसदमें पेश किया जाए ऐसा विचार हो गया और १९७६ में यह विधेयक संसदमें सादर हुआ। जिस दिन इस विधेयक पर चर्चा होनेवाली थी उसके एक दिन पहले ४२ सांसद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधीजीसे मिले और इन विधेयक का उन्होंने कडा विरोध किया। इसलिए धनगर और बंजारा समाजकों अनुसूचित जनजातीयों का दर्जा देने का विधेयक वापिस लिया गया।

उपरोक्त इतिहास देखकर यह निश्चित होता है कि जब काँग्रेसके पास ४१५ सांसद थे, काँग्रेस देशमें मजबूत स्थितीमें थी और ऐसी हालत थी की "इंदिरा इज इंडीया" "इंदिराजी बोले और देश डोले" तब भी विधेयक पारित नहीं हुआ, तो यह कदापी पारित नहीं होगा ऐसा हमें लगा। हम सोंचने लगे की इस समाजको आरक्षण का लाभ मिलने के लिए क्या किया जाए? हमें कुछ बातोंका पता लगा कि महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश में विमुक्त-घुमंतू समाज में बंजारा समाज समाविष्ट होता है। उन्हे अलग आरक्षण देकर उनकी जिंदगी बेहतर करने का प्रयास किया गया और वह सफल हुआ। श्री. वसंतराव नाईक जब मुख्यमंत्री थे तब समाजके लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएँ, छात्रवृत्ती देकर समाजकी प्रगती हुई। इसी तरह पूरे देशमें ऐसा आरक्षण मिले इसलिए मा. गोपिनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन इनके द्वारा मा. अटलबिहारी वाजपेयीजी और मा. लालकृष्ण अडवाणीजी इनके सामने यह प्रस्ताव रखा गया।

इन सब नेताओंने इसको तात्वीक संमती दी। मा. अटलबिहारी वाजपेयीजीने २०.०१.२००४ को धनगर समाजके महासंमेलन में आयोग का गठन करने का निर्णय घोषित कर दिया।

न्यायमूर्ती बी. मोतीलाल नायकजी को इस आयोगके अध्यक्ष और मुझे इस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। किन्तु एप्रिल २००४ में आम चुनाव की घोषणा की गई और भाजप की सरकार गयी और कॉंग्रेसने फिर सत्ता हासिल की और मैं सांसद सदस्य बना। बी. मोतीलालजीने अपने पदका इस्तीफा दिया और वह आयोग खतम हुआ। इसके बाद मैंने संसदमें सैंकडो बार यह सवाल उपस्थित किया और आयोग फिरसे गठित करने की सरकार को बिनती की।

इस कालमें भारतीय सेवासंघके रणजीत नाईक, मशहूर लेखिका महाश्वेता देवी, उचल्या किताब के लेखक लक्ष्मण गायकवाड, गोपीनाथ मुंडे और हजारों कार्यकर्ताओंके प्रयासोंके फलस्वरुप फिरसे बाळकृष्ण रेनके इनकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। २००८ में इस आयोगने अपना परिवेदन सादर किया। किन्तु सरकारके पास जाती निहाय आबादी के आंकडे नहीं थे। इस कारण से आरक्षण का प्रतिशत तय करना असंभव था। इसलिए जातीनिहाय जनगणना करने की बिनती हमने सरकार को की। श्रीमती सोनिया गांधीजीने यह बिनती राष्ट्रीय सलाह समिती (नॅशनल ॲडव्हायझरी कौन्सिल) के सामने रखकर २०११ में जातीनिहाय जनगणना करवायी और आंकडे आज सरकारके पास उपलब्ध है।

मंडल आयोग के सदस्य एल.आर.नाईक की असहमती टिप्पणी, सर्वोच्च न्यायालयने इंद्र सहानी बनाम भारत सरकार इस मामले में दिया हुआ निर्णय तथा हालही में राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ती ईश्वरैया इनका परिवेदन और सिफारिस, इन सबका अवलोकन करने के बाद जिस तरह महाराष्ट्र राज्य ने आरक्षण दिया उसी तरह पूरे देशेमें आरक्षण देने में कुछ कठीनाई नहीं होगी ऐसा मुझे विश्वास है।

एल.आर.नाईक ने असहमती टिप्पणीमें दी गयी राय –

श्री. नाईक की ऐसी राय थी कि, सबको एक साथ २७% आरक्षण देने के बजाय राज्योंके पिछडे हुए वर्ग की सूची का विभाजन करे। एक पिछडे हुए वर्ग और दूसरे अत्यंत पिछडे हुए वर्ग।

उन्होंने स्पष्ट रुपसे लिखा है कि पिछडे हुए वर्गोंमें से प्रगत वर्ग आत्यंतिक पिछडे वर्गोंको आगे नहीं आने देते। इसलिए आगे चलकर यह आत्यंतिक पिछडे वर्ग अपना संघठन करेंगे और अपना अलग नेतृत्व निर्माण करेंगे। किन्तु यदि ऐसा न हुआ तो ओबीसी की अत्यंत पिछडी हुई जातीयाँ और विमुक्त-घुमंतू जातीयाँ और पिछडे हुए दबे वर्ग केंद्रीय आरक्षण का लाभ नहीं उठा सेकेंगे।

मा. सर्वोच्च न्यायालय की राय

मंडल आयोग के सिफारिस के अनुसार २७% आरक्षण देने के मामले में सर्वोच्च न्यायालयने इंद्र सहानी बनाम भारत सरकार इस मामले में ऐसा कहाँ है कि संविधान की धारा १६(४) के अनुसार पिछडे हुए वर्गोंका पिछडे हुए वर्ग और अत्यंत पिछडे हुए वर्ग ऐसा वर्गीकरण करने को संविधान को कोई बाधा नहीं है। ऐसा वर्गीकरण वह समाज सामाजिक दृष्टीसे कितना पिछडा हुआ है इसपर निर्भर है। अलग अलग पिछडे हुए वर्गों में समान विभाजन होना जरुरी है, जिसकी वजह से एकसाथ होके एक या दो वर्ग आरक्षण के सब लाभ अकेले खुद नहीं ले जा सकेंगे।

इस मामले के आदेश क्र.८०२ के अनुसार माननीय अध्यक्षने ऐसी राय दी है कि पिछडे हुए वर्गोंके पिछडे वर्ग और अधिक पिछडे वर्ग ऐसे दो या तीन गुट करने में संविधान की कुछ बाधा नहीं है। हम ऐसा नहीं कहते है कि ऐसा करना ही चाहिए किन्तु यदि ऐसा वर्गीकरण किया तो वह वैध होगा। उन्होंने ऐसा उदाहरण दिया है कि यदि सुनार और वडार (जिनका पारंपारिक व्यवसाय पत्थर फोडना है) इन दोनों को एकही वर्ग में रखा जाए तो सुनारही सब सहुलियत, सुविधाँ ले जाएँगें और वडारों को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए यदि संभव हो तो सरकारने अन्य पिछडे हुए जातीयोंमें भी वर्गीकरण करना चाहिए, जिसकी वजह से पिछडे वर्गों में सेअधिक पिछडे हुए वर्गोंको उनके देय लाभ प्राप्त होंगे।

राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग, दिल्ली इन्होंने कि हुई सिफारिसे

हालमें ही राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग दिल्ली इन्होंने सिफारिस की है। एल.आर. नाईक और मा. सर्वोच्च न्यायालय के सूचना के अनुसार अन्य पिछडे हुए वर्ग की विभाजन करके १. विमुक्त-घुमंतू २. बाराबलुतेदार (नाई, खाटिक, वाणी, लुहार, सुतार, सुनार, दर्जी, धोबी) और (तेली, माळी, कोळी,

गोवारी, धनगर) और ३. केंद्रीय सूचीके बाकी रह गए सब ऐसा विभाजन २७% आरक्षण का करना है। पिछले २० बरस हम यहीं माँग कर रहे है।

यदि केंद्र सरकार ऐसा निर्णय लेती है ती जैसे महाराष्ट्र में अ, ब, क वर्गीकरण करके सच्चे अर्थ में आरक्षण दिया है और सामाजिक न्याय दिया है। ठीक वैसाही न्याय इस सब समाज घटको कों मिलना चाहिए। यदि ९:९:९ ऐसा विभाजन करने का निर्णय हुआ तो इस वर्षमें जो डॉ.बाबासाहब आंबेडकर की १२५वी जयंती का वर्ष है, इस दशक का सबसे बडा प्रश्न सुलझ जाएगाँ। यह सवाल देशकी ६६६ विमुक्त-घुमंतू जातीयाँ (आबादी २२ करोड), और ५४० आत्यंतिक पिछडी हुई जातीयाँ (आबादी १८ करोड) ऐसा कुल मिलाकर ४० करोड लोगोंकी समस्याओंका सवाल है। इसलिए २७.०३.२०१६ को जंतरमंतर दिल्ली में महारॅली का आयोजन किया है। यह सोयी हुई जातीयाँ यदि नींद से उठ गयी तो सरकार की नींद उडेगी ऐसा मेरा विश्वास है।

इसलिए मंडल आयोग का फिरसे पुनर्विचार करना जरुरी है। यही संदर्भ लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहनजी भागवत इन्होंने भी आरक्षण का पुनर्विचार करना जरुरी है, ऐसा कहाँ होगा।

धन्यवाद!

हरीभाऊ राठोड
पूर्व सांसद और विधायक
Mobile No. 9920716999